भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1889

जिसका उत्तर 30.07.2026 को दिया जाना है

टोल प्लाजा के रिकॉर्डों का मिलान

†1889. श्री कीर्ति आज़ाद:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को टोल प्लाजा के फास्टैग लेन और कैश लेन से मूल या वास्तविक समय लेन-देन डेटा प्राप्त होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) टोल प्लाजा रिकॉर्ड, फास्टैग या एनपीसीआई निपटान संबंधी रिकॉर्ड, रियायतग्राही रिपोर्ट और बैंक ऋण के मिलान के लिए क्या तंत्र मौजूद है;

(ग) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान दर्ज की गई विसंगतियों, विलंबित निपटान, दोहरी कटौतियों और पैसे वापस करने में विफलता के मामलों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(घ) टोल कटौती से लेकर अंतिम निपटान तक के संपूर्ण लेन-देन संपरीक्षा के लिए कौन-सी एजेंसी जिम्मेदार है; और

(ङ) निपटान संबंधी त्रुटियों या डेटा विसंगतियों के मामलों में लगाए गए जुर्माने, की गई वसूलियों और की गई सुधारात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के तहत एक केंद्रीकृत प्रणाली टोल प्रबंधन और नियंत्रण केंद्र (टीएमसीसी) को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) से लगभग रियलटाइम (वास्तविक समय) फास्टैग लेनदेन डेटा और टोल प्लाजा के टोल प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) से यूपीआई आधारित लेनदेन प्राप्त होता है। इसके अलावा, नेपाल और भूटान में पंजीकृत वाहनों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित कुछ शुल्क प्लाजा को छोड़कर राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर शुल्क प्लाजा पर नकद लेनदेन का प्रावधान अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 251(अ) दिनांक 02.04.2026 के माध्यम से बंद कर दिया गया है। संशोधित प्रावधान शुल्क प्लाजा में प्रवेश करने वाले वाहन के प्रयोक्ता को बिना फास्टैग के, या अमान्य/गैर-सक्रिय फास्टैग के साथ, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से लागू प्रयोक्ता शुल्क का भुगतान करने में सक्षम बनाता है। ऐसे मामलों में, प्रयोक्ता को वाहन की संबंधित श्रेणी के लिए निर्धारित लागू प्रयोक्ता शुल्क का 1.25 गुना भुगतान करना होगा।

(ख) फास्टैग लेनदेन तीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं के समन्वित कार्रवाई के माध्यम से संसाधित किए जाते हैं: शुल्क प्लाजा का अधिग्रहणकर्ता बैंक, जो प्लाजा में उत्पन्न लेनदेन प्राप्त करता है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), जो लेनदेन निपटान के लिए केंद्रीय समाशोधन गृह (सीसीएच) के रूप में कार्य करता है, और जारीकर्ता बैंक जिसने फास्टैग जारी किया है और सड़क प्रयोक्ता का फास्टैग वॉलेट रखता है।

सेंट्रल क्लियरिंग हाउस, एनपीसीआई ने फास्टैग लेनदेन निपटान के लिए सभी अधिग्रहणकर्ता और जारीकर्ता बैंकों को एक सुलह पोर्टल प्रदान किया है। शुल्क प्लाजा स्तर पर सुलह शुल्क प्लाजा में संबंधित अधिग्रहण करने वाले बैंक द्वारा की जाती है।

(ग) बैंकों के बीच फास्टैग निपटान में गड़बडी के कोई मामले सामने नहीं आए हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) कार्यक्रम के प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार, फास्टैग लेनदेन पोस्ट करने के लिए टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) 72 घंटे है। खराब मौसम की घटनाओं के कारण यदि संपर्कता नहीं होने पर लेनदेन टर्न अराउंड टाइम के भीतर नहीं की जाएं, तो विशेष विंडो मामले-दर-मामले के आधार पर मुहैया करायी जाती हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई), जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (एनईटीसी) कार्यक्रम की सेंट्रल क्लियरिंग हाउस (सीसीएच) सेवाएं प्रदान करता है, ने पिछले 5 वर्षों में अधिग्रहणकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए डुप्लिकेट और डबल डेबिट पर फास्टैग जारी करने वाले बैंक द्वारा उठाए गए निम्नलिखित चार्जबैक संबंधी सूचना दी है:

वर्ष (जनवरी-दिसंबर)	चार्जबैक संख्या		ईटीसी लेनदेन की मात्रा करोड़ में	ईटीसी लेनदेन की कुल राशि के % के रूप में दर्ज चार्जबैक
	दोहरा डेबिट	डुप्लिकेट लेनदेन		
2022	35,980	6,38,101	324.069	0.021%
2023	47,655	3,83,104	372.212	0.012%
2024	47,035	1,40,799	401.955	0.005%
2025	55,667	3,24,356	464.123	0.008%
2026 (जून तक)	68,192	36,660	259.193	0.004%

(घ) जैसा कि ऊपर (ख) में कहा गया है, प्रयोक्ता शुल्क कटौती से अंतिम निपटान तक लेनदेन ट्रेल का मिलान एनपीसीआई और संबंधित अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा किया जाता है। सभी अधिग्रहणकर्ता बैंक और एनपीसीआई भारतीय रिजर्व बैंक के तहत विनियमित संस्थाएं हैं, और उनकी आरबीआई के नियमों के अनुसार नियमित लेखापरीक्षा होती हैं।

(ङ) एनपीसीआई द्वारा कोई निपटान त्रुटि या डेटा विसंगति की सूचना नहीं दी गई है।
